राजस्थान सरकार
आबकारी विभाग

वर्ष 2020–21 के आबकारी बंदोबस्त के संदर्भ में देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) खुदरा विक्रय के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्ते

1. **पात्रता**

देशी मदिरा विक्रय के लिये अनुज्ञापत्र हेतु वे ही व्यक्ति आवेदन कर सकेगें, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों व भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखते हैं। मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन पत्र देने के लिये अयोग्य रहेंगे। :–

(i) भारत का नागरिक नही है,

(ii) अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति,

(iii) व्यक्ति जो स्वयं, जामिन या अन्य किसी रूप में आबकारी विभाग का बाकीदार हो,

(iv) वर्ष 2019–20 के ऐसे अनुज्ञाधारी, जिनमें माह दिसम्बर, 2019 तक की एकाकी विशेषाधिकार राशि/लाईसेंस फीस या अन्य कोई राशि बकाया हो,

(v) कोई भी व्यक्ति जिसके विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 अथवा इसकी धारा 34 में उल्लेखित अधिनियमों अथवा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्स्टेंसेज एक्ट, 1985 के अंतर्गत अपराध का कोई मामला दर्ज हो अथवा उसमें सजायाब हुआ हो ।

(vi) राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 74 के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र धारण हेतु अयोग्य व्यक्ति ।

(vii) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/स्थानीय निकायों/अन्य किसी भी राजकीय अथवा अर्द्धराजकीय संस्थान में सेवारत व्यक्तियों/जन सेवकों को राजकीय अधिकारिता के अलावा व्यक्तिगत क्षमता में अनुज्ञापत्र धारण करने के लिये पात्र नही होंगे।

(viii) आवेदन के लिये अपात्र व्यक्ति द्वारा आवेदन कर अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के पश्चात अपात्रता की जानकारी होने पर आवेदन पत्र/अनुज्ञापत्र निरस्त योग्य होगा एवं ऐसे अपात्र आवेदक द्वारा जमा कराई गई समस्त प्रकार की राशियां जब्त सरकार की जायेगी।

2. **व्यक्तिगत आवेदन के अलावा भागीदारी फर्म/कम्पनी/साझेदारी फर्म के माध्यम से निम्नानुसार आवेदन किया जा सकता है :–**

2.1 **सीमित दायित्व भागीदार :–**समित दायित्व भागीदारी के नाम से भी आवेदन किया जा सकता है। सीमित दायित्व भागीदारी के रूप में आवेदन करने की स्थिति में भागीदारी में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के नाम, पता व पूर्ण विवरण अंकित करना आवश्यक होगा। सभी भागीदारों को अनुज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने होगे। सीमित दायित्व भागीदारी के नाम से निविदा स्वीकृत किये जाने की स्थिति में भागीदारी में सम्मिलित समस्त सभी व्यक्ति अनुज्ञा फीस की पूर्ति के लिये संयुक्त एंव पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी होगे। दायित्वों के उनके आपसी बंटवारे संबंधी उनकी आंतरिक व्यवस्था से विभाग को कोई सरोकार नही रहेगा । ऐसे भागीदारी में सम्मिलित व्यक्ति, अनुज्ञाधारियों द्वारा आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली सूची से भिन्न नही होगे। अनुज्ञापत्र में सम्मलित सीमित दायित्व वाली भागादारी फर्म के किसी भी भागीदार के अनुज्ञापत्र की अवधि में भागादारी फर्म से अलग हो जाने पर अनुज्ञापत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा एवं अनुज्ञाधारी की जमा समस्त प्रकार की राशि जब्त सरकार हो जायेगी।

2.2 रजिस्टर्ड साझेदारी फर्म :– साझीदारी फर्म के नाम से भी आवेदन किया जा सकता है। साझेदार फर्म के नाम से आवेदन किये जाने की स्थिति में समस्त साझीदारों के नाम, पता व पूर्ण विवरण अंकित करना आवश्यक होगा तथा पार्टनरशिप डीड संलग्न करना होगा। सभी साझीदारों को आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद जारी किये जाने वाले अनुज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने होगे। सभी साझेदार अनुज्ञा फीस एवं अन्य देय शुल्क इत्यादी जमा कराने के लिए संयुक्त एंव पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी होगे। अनुज्ञा पत्र की अवधि तक साझेदारी फर्म से साझेदार अपना नाम वापस नही ले सकेगे । अनुज्ञापत्र में सम्मलित साझेदारी फर्म के किसी भी साझेदार के अनुज्ञापत्र की अवधि में साझेदारी फर्म से अलग हो जाने पर अनुज्ञापत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा एवं अनुज्ञाधारी की जमा समस्त प्रकार की राशि जब्त सरकार हो जायेगी।

2.3 **कम्पनीः–**कम्पनी द्वारा ऑन लाईन आवेदन करने की स्थिति में नाम के कॉलम में आवेदक द्वारा कम्पनी का नाम अंकित किया जावे। पिता का नाम अंकित करना आवश्यक नहीं होगा। कम्पनी द्वारा किसी एक निदेशक को ऑन लाईन आवेदन करने हेतु अधिकृत किया जा सकता है। ऑन लाईन आवेदन में इसी अधिकृत व्यक्ति की आयु का अंकन एवं हस्ताक्षर तथा फोटो अपलोड करना पर्याप्त होगा तथा इस कम्पनी के आवेदन सफल हो जाने की स्थिति में दुकान संचालन करने से पूर्व अधिकृत पत्र की प्रति, कम्पनी के सभी निदेशक का संयुक्त एंव पृथक पृथक रूप से असीमित उत्तरदायित्व होगा । कम्पनी के लिये निम्न अतिरिक्त सूचनाऐं देना भी अनिवार्य होगाः–

1. कम्पनी का मेमोरेन्डम ऑफ एसोशियेशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोशियेशन की प्रमाणित प्रति ।
2. निदेशको के नाम व पूर्ण पते ।
3. गत दो वर्षो के अंतिम लेखो की अंकेक्षित प्रति ।

दस्तावेज ऑन लाईन आवेदन करने की दिनांक से पूर्व के होना आवश्यक होंगे।

2.4 **व्यक्तियों का समूह :–** व्यक्तियों के समूह के नाम से भी आवेदन किया जा सकता है। व्यक्तियों के समूह के रूप में आवेदन करने की स्थिति में व्यक्तियों के समूह में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के नाम, पत्ता व पूर्ण विवरण अंकित करना आवश्यक होगा । व्यक्तियों के समूह में सम्मलित समस्त व्यक्ति आवेदन स्वीकृत होने पर सभी अनुज्ञाधारी कहलायेगें एवं वे संयुक्त तथा पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी होगें । ऐसे समूह में सम्मलित व्यक्ति आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली सूची से भिन्न नही होगें । यदि कोई व्यक्ति समूह से पृथक हो जाता है या विभाग द्वारा समूह से पृथक कर दिया जाता है तो भी अनुज्ञापत्र की सम्पूर्ण अवधि तक समूह के अन्य सदस्यो के भॉति संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से विभाग के प्रति उत्तरदायी रहेगा।

3. **अवधि**

आगामी आबकारी बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष 2020–21 (दिनांक 1–4–2020 से दिनांक 31–3–2021) के लिये होगी। जिसको एक और वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा।

4. **बन्दोबस्त की प्रणाली :–**

वर्ष 2020–21 हेतु देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) खुदरा विक्रय अनुज्ञापत्र का बन्दोबस्त निम्न प्रणाली अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

4.1 देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) खुदरा विक्रय के वर्ष 2020–21 के अनुज्ञापत्र समूहवार निर्धारित एकाकी विशेषाधिकार राशि पर एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित किये जायेंगे।

5. **बन्दोबस्त की प्रकिया :–**

वर्ष 2020–2021 हेतु निश्चित वार्षिक राशि पर नये आवेदन आमंत्रित कर बन्दोबस्त किया जायेगा। देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन करने के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट **https://www.rajexciselottery.org** एवं **https://rajexcise.gov.in** पर उपलब्ध है।

5.1. जिन समूहों हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे, ऐसे समूहों के लिये राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों के समक्ष लॉटरी निकाली जाकर सफल आवेदक का चयन किया जायेगा। एक व्यक्ति को एक समूह से अधिक समूहों का आवंटन नही किया जायेगा।

5.2 सिविल अपील संख्या 12164–12166 राज्य बनाम के बालू. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 तथा इस निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 12170/2016 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2017 की तथा उक्त की निरन्तरता में स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल संख्या 10243 ऑफ 2017 अराईव सेफ सोसायटी ऑफ चण्डीगढ बनाम द यूनियन टेरिटेरी ऑफ चण्डीगढ व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10. 07.2017 एवं सिविल अपील संख्या 12164–12666 ऑफ 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 23.02.2018 के क्रम में राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गो (National highways and State highways) पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवस्थिति के संबंध में निर्धारित प्रतिबन्धित दूरी की पालना करनी होगी।

6. आवेदन पत्र

6.1 समस्त आवेदन ऑनलाईन वेबसाइट **https://www.rajexciselottery.org एवं https:// rajexcise.gov.in** पर स्वीकार किये जाएँगें। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नही किये जायेगे। आवेदक को सर्वप्रथम, उक्त वेबसाइट पर उपलबध समस्त दिशा–निर्देश एवं शर्तो का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।

6.2 आवेदन कम्प्यूटर/लैपटॉप को इन्टरनेट से जोड़ कर घर, कार्यालय, ई–मित्र सेन्टर तथा साइबर कैफे से (Round the Clock) भरे जा सकते है।

6.3 इस सूचना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश एंव शर्ते तथा अनुज्ञापन हेतु उपलब्ध समूहो/दुकानों की निर्धारित संख्या की सूची एवं एकाकी विशेषाधिकार राशि की जानकारी विभागीय वेबसाईट **https://rajexcise.gov.in** एवं **https://www.rajexciselottery.org** पर उपलब्ध है।

6.4 **ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट https://www.rajexciselottery.org एवं https://rajexcise.gov.in पर दिनांक 12.02.2020 से दिनांक 27.02.2020 को सांय 6.00 पी.एम. तक भरे जा सकते हैं। इसके पश्चात ऑनलाईन आवेदन करने का लिंक समाप्त हो जायेगा।**

6.5 वर्ष 2020–21 हेतु देशी मदिरा समूहों के लिये प्रति समूह आवेदन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया गया है । आवेदन शुल्क प्रत्येक आवेदन के लिये पृथक–पृथक देय होगा, जो कि अप्रतिदाय **(non-refundable) होगा :–**

क्र.स.	श्रेणी	आवेदन शुल्क रूपये में
1	वर्ष 2020–2021 के लिये 10 लाख रूपये तक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	25,000/–
2	वर्ष 2020–2021 के लिये 10 लाख रूपये से अधिक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	30,000/–

6.6 आवेदन शुल्क इन्टरनेट बैकिंग/ई–ग्रास चालान/डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराया जा सकता हैं।

6.7 आवेदन के साथ आवेदक की पहचान स्वरूप ड्राईविंग लाईसेन्स/आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड/निर्वाचन विभाग द्वारा जारी फोटो आइडेन्टिटी कार्ड/आधार कार्ड इत्यादि में से **किसी एक दस्तावेज की स्व प्रमाणित फोटो प्रति अपलोड करनी होगी।**

6.8 ऑनलाईन आवेदन के पश्चात उक्त विभागीय साईट से आवेदक द्वारा आवेदन पत्र का A4 साईज के 70 जी.एस.एम. (GSM) के सादे कागज पर प्रिन्ट लिया जा सकेगा।

6.9 आवेदन शुल्क इन्टरनेट बैकिंग/ई–ग्रास चालान के माध्यम से जमा कराने पर आवेदक को आवेदन पत्र व चालान की प्रति संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जमा नही करानी है।

6.10 आवेदन शुल्क का डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन के पश्चात उसकी प्रिन्टेड़ कॉपी मय डिमान्ड ड्राफ्ट के ऑनलाईन आवेदन करने के तीन दिन के अन्दर अथवा दिनांक 03.03.2020 को 6 पीएम तक, जो भी पहले हो, सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अपरिहार्य अथवा विशेष परिस्थिति में उक्त प्रिन्टेड़ कॉपी व डिमान्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने की उपरोक्त निर्धारित समय सीमा में छूट दी जा सकेगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये प्रिन्टेड़ कॉपी एवं डिमान्ड ड्राफ्ट दिनांक 03.03.2020 को 6 पीएम के बाद स्वीकार्य नही होगें।

6.11 जिन आवेदन पत्रों के साथ आवेदन शुल्क एवं पहचान का प्रमाण संलग्न नही किया गया है उनको लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

6.12 सफल आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड एवं निवास स्थान के प्रमाण स्वरूप आधार कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/ड्राईविंग लाईसेन्स/पासपोर्ट में से किसी एक की स्पष्ट पढने योग्य स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है। साझेदारी फर्म की ओर से आवेदन करने की स्थिति में साझेदारी डीड की स्व प्रमाणित प्रति, कम्पनी की ओर से आवेदन करने की स्थिति में मेमोरेन्डम एसोसियेशन की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

7. अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि

7.1 सफल आवेदक को वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की 14.5 प्रतिशत राशि अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि के रूप में दिनांक 01.04.2020 से पूर्व अथवा दुकान संचालन से पूर्व, जो भी पहले हो, तक राजकोष में जमा करानी होगी।

7.2 उपरोक्तानुसार अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि वित्तीय वर्ष 2020–2021 के माह जनवरी से माह फरवरी तक 4 प्रतिशत राशि प्रतिमाह तथा माह मार्च में 6.5 प्रतिशत राशि निर्धारित मासिक गारण्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम के लिये देय आबकारी शुल्क अथवा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि में समायोजन किया जा सकेगा।

7.3 सफल आवेदक यदि आयकर विभाग का पेन नम्बरधारी नही हैं तो उसे 30.04.2020 तक पेन नम्बर प्राप्त कर विभाग को सूचित करना होगा ।

8. **वार्षिक राशि**

देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा समूह/दुकाने ग्राम पंचायतवार अथवा नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका के वार्ड वार अथवा उनके समूह में जिस रूप में अनुज्ञापन हेतु प्रस्तुत की जा रही हैं उनकी सूची एवं राज्य की समस्त दुकानो के संदर्भ में वर्ष 2020–21 की वार्षिक राशि इत्यादि का विवरण विभाग की वेबसाईट **https://rajexcise.gov.in** एवं **https://www.rajexciselottery.org** पर उपलब्ध है। आवेदन प्रस्तुत करने के इच्छुक व्यक्तियों को सर्वप्रथम उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध समस्त दिशा–निर्देशों, अनुज्ञापत्रों की शर्तो एवं दुकानों की वार्षिक राशि इत्यादि को सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिये तथा इन प्रावधानो से पूर्ण सहमत होने पर ही विभाग को आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इस संबंध में आवेदक को बाद में किसी प्रकार की उजरदारी या आपत्ति करने का अधिकार नही होगा।

9. **धरोहर राशि अदायगी**

9.1 सफल आवेदक को धरोहर राशि के रूप में वर्ष 2020–2021 की वार्षिक राशि की 4% राशि जमा करानी होगी। आवेदक के नाम स्वीकृति जारी होने पर निर्धारित धरोहर राशि की 2 प्रतिशत राशि लाटरी की दिनांक से 3 दिन में (लाटरी के दिन को छोड़कर) तथा शेष 2 प्रतिशत राशि लाटरी की दिनांक (लाटरी के दिन को छोड़कर) से 10 दिन में या दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व, जो भी पहले हो, धरोहर राशि के रूप जमा करानी होगी।

9.2 यदि आवेदक किसी स्टेज पर उक्त अनुसार निर्धारित अवधि में रकम जमा नहीं करवाता है, तो उस स्टेज तक उसके द्वारा जमा धरोहर राशि/ अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि राजसात् कर उसके पक्ष में जारी स्वीकृति निरस्त कर दी जावेगी।

10. **देशी मदिरा** तथा **राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) के निर्गम का प्रतिशत** :– अनुज्ञाधारी द्वारा प्रत्येक माह मे उठाव की मात्रा का न्युनतम 30 प्रतिशत 25 यूपी **राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)** का हिस्सा तथा शेष मासिक एकाकी विशेषाधिकार के लिए तय मात्रा का न्युनतम 40 प्रतिशत मदिरा 50/60 यू.पी. में एवं अधिकतम 60 प्रतिशत 40 यूपी की देशी मदिरा का उठाव आवश्यक होगा। अनुज्ञाधारी द्वारा किसी माह में देशी मदिरा एवं **राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)** गारन्टी पूर्ति उक्त अनुपात में नही करने की स्थिति में संबंधित त्रैमास के अन्य माह/माहों में देशी मदिरा एवं **राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)** के उठाव के लिये जमा कराई गई आबकारी ड्यूटी से समायोजन होगा।

10.1 एक त्रैमास में निर्धारित प्रतिशत से कम मदिरा का उठाव करने पर अनुज्ञाधारी को मदिरा की गारन्टी पूर्ति के लिये देय आबकारी शुल्क मदिरा के वास्तविक उठाव से गारन्टी पूर्ति के अन्तर की राशि एवं बेसिक लाईसेंस फीस पृथक से नकद जमा करवानी होगी।

10.2 वर्ष 2020–21 **के** दौरान राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) तथा देशी मदिरा का मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की पूर्ति का 100 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक अधिक उठाव करने पर अनुज्ञाधारी द्वारा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के 100 प्रतिशत से अधिक उठाई गई मदिरा की मात्रा पर देय आबकारी शुल्क में 40 प्रतिशत छूट दी जायेगी। जिसका प्रति त्रेमासिक आधार पर आगणित किया जावेगा परन्तु इसके साथ ही राजस्थान निर्मित मदिरा का न्युनतम 30 प्रतिशत उठाव होना आवश्यक होगा। **यह** छूट मासिक एकाकी विशेषाधिकार के 150 प्रतिशत अधिकतम तक ही छूट मिलेगी तथा आगामी वर्ष में दुकान/समुह के इपीए निर्धारण में इसको सम्मिलित नहीं किया जावेगी।

11. मासिक एकाकी विशेषाधिकार के कोटे को अन्य अनुज्ञाधारी को स्थानान्तरित करने की व्यवस्था –

11.1 मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में एक अनुज्ञाधारी अपने समान अन्य अनुज्ञाधारी को अपने बुनियादी अंश (Basic Quota) के त्रैमासिक आधार पर अपने कोटे के अंश विशेष को स्थानान्तरित करने की अनुमति दी जा सकेगी। इस बाबत बिक्री की शर्तें अंश विशेष को प्राप्त करने वाले अनुज्ञाधारी तथा अंश विशेष को देने वाले अनुज्ञाधारी द्वारा पारस्परिक आधार पर तय की जा सकेगी। स्थानान्तरित मात्रा को देने वाले के कोटे से कम किया जावेगा परन्तु मासिक विशेषाधिकार में कोई बदलाव नहीं किया माना जायेगा। इस प्रकार के कोटे का आपसी स्थानान्तरण ऑनलाईन स्वीकृत करना होगा। इस प्रकार के कोटे के स्थानान्तरण हेतु देशी मदिरा के लिए 10 रूपये प्रति बल्क लीटर की दर से राजकोष में कोटा देने वाले अनुज्ञाधारी द्वारा ट्रांस्फर फीस के रूप में जमा कराना होगा, परन्तु, उपर्युक्त प्रावधान सम्बन्धित आबकारी जिले में ही स्थानान्तरण अनुमत होगा।

11.2 परन्तु उक्त स्थानान्तरित कोटे की मात्रा देने वाले अनुज्ञाधारी के कोटे की मात्रा उसके वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार की राशि के 20 प्रतिशत की मात्रा से अधिक नहीं हो सकेगा। साथ ही कोई भी ऐसी मात्रा प्राप्त करने वाला अनुज्ञाधारी भी अपने वार्षिक एकाकी विशेषाधिकारी की राशि के 20 प्रतिशत की मात्रा से अधिक प्राप्त नहीं कर सकेगा। आगामी वर्ष में एकाकी विशेषाधिकार राशि निर्धारण में इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा।

12. कम्पोजिट दुकान :–

12.1 राज्य के ग्रामीण क्षेत्र एवं 'चतुर्थ श्रेणी' की नगर पालिका क्षेत्रों (सागवाड़ा नगर पालिका को छोड़कर) की देशी मदिरा की समस्त दुकानें कम्पोजिट श्रेणी की होगी।

12.1.1 राज्य में ग्रामीण क्षेत्र एवं चतुर्थ श्रेणी नगर पालिकाओं (सागवाड़ा नगर पालिका को छोड़कर) में स्थित कम्पोजिट दुकानें निम्न श्रेणी की होगीः–

(i) **परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें :** नगर निगम/नगर परिषद द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी की नगर पालिका की सीमा से 5 किमी परिधि में स्थित गांवो में अवस्थित कम्पोजिट दुकानें **परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें** कहलायेगी ।

(ii) **चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की कम्पोजिट दुकाने** 'चतुर्थ श्रेणी' की नगर पालिका क्षेत्रों (सागवाड़ा नगर पालिका को छोड़कर) में स्थित कम्पोजिट दुकानें **''चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की कम्पोजिट दुकानें''** कहलायेगी।

(iii) **ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें** : परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित कम्पोजिट दुकानों **''ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें''** कहलायेगी ।

12.2 वर्ष 2020–21 के लिये कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस की गणना आबकारी नीति के बिन्दु संख्या 3.11 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

12.2.1 वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये निर्धारित कम्पोजिट फीस 31 मार्च 2020 तक राजकोष में जमा कराई जानी आवश्यक होगी।

12.3 वर्ष 2020–21 के लिये परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारण :–

12.3.1 **परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारणः**– वर्ष 2020–21 के लिये कम्पोजिट दुकान की कम्पोजिट फीस की गणना निम्नलिखित प्रकिया के अनुसार की जायेगी।

12.3.2 वर्ष 2020–21 में ऐसी दुकानें जो आबकारी नीति के बिन्दू संख्या 3.9.1.1 (i) के अनुसार परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें मानी गई है तथा जो 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों में अवस्थित है, की कम्पोजिट फीस निर्धारण के लिये इस परिधि में स्थित गांवो को ''अ'' एवं ''ब'' दो श्रेणी में वर्गीकृत कर तद्नुसार वसूल की जायेगी।

(i) **''अ'' श्रेणी के गांव** – वे गांव जिनमें वर्ष 2005–06 से वर्ष 2019–20 तक देशी मदिरा की कम्पोजिट दुकानें संचालित रही हो अथवा इन गांवों की सीमा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगती हुई हो।

(ii) **''ब'' श्रेणी के गांव** – नगरीय क्षेत्र की 5 कि.मी. की परिधि में स्थित ''अ'' श्रेणी के गांवों के अतिरिक्त समस्त गांव (सीमा में कही स्थित हो) ''ब'' श्रेणी के होगें।

12.3.3 वर्ष 2020–21 के लिये अनुज्ञाधारी द्वारा संबंधित समूह की दुकान को ''अ'' श्रेणी के गांवों में संचालित किये जाने पर कम्पोजिट फीस उसके समीपस्थ नगरीय क्षेत्र की भा.नि.वि. मदिरा की वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस) अथवा उस दुकान/समूह की वर्ष 2019–20 की आर.एस.बी.सी. एल की एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि का 7 प्रतिशत में से जो भी अधिक हो, देय होगी। इस श्रेणी की दुकान के लिये भा.नि.वि. मदिरा/बीयर पर देय ''स्पेशल वेण्ड फीस'' का भराव इस वर्ष में उस दुकान की कम्पोजिट फीस के 50 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा एवं इस राशि के समाप्त होने पर ''स्पेशल वेण्ड फीस'' पृथक से नकद देय होगी।

''ब'' श्रेणी के गांव में मदिरा दुकान संचालित किये जाने पर कम्पोजिट फीस उस दुकान/समूह की वर्ष 2019–20 की आर.एस.बी.सी.एल. की एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि का 7 प्रतिशत अथवा समीपस्थ नगरीय क्षेत्र की भा.नि.वि. मदिरा/बीयर दुकान की वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस) का 50 प्रतिशत अथवा रू. 75,000 में से जो भी अधिक हो, देय होगी। इस श्रेणी की दुकान के लिये भा.नि.वि.मदिरा/बीयर पर देय ''स्पेशल वेण्ड फीस'' का भराव उस दुकान की कम्पोजिट फीस के 50 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा एवं इस राशि के समाप्त होने पर ''स्पेशल वेण्ड फीस'' पृथक से नकद देय होगी।

12.3.4 वर्ष 2020–21 के लिये **परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस** को 31 मार्च 2020 तक जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

12.4 परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस के स्थानान्तरण का विकल्पः–

12.4.1 वर्ष के दौरान परिधीय क्षेत्र की ''अ'' श्रेणी के गांव में संचालित दुकान को अनुज्ञाधारी ''ब'' श्रेणी के गांव में स्थानान्तरित कराना चाहे तो कम्पोजिट फीस वापसी योग्य (refund) नही होगी, परन्तु ''ब'' श्रेणी गांव में संचालित दुकान ''अ'' श्रेणी के गांव में स्थानान्तरित कराये जाने पर "अ" व "ब" श्रेणी की कम्पोजिट फीस के अन्तर की राशि जमा करानी होगी।

12.4.2 परिधीय क्षेत्र की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों के लिये अनुज्ञाधारी द्वारा सम्बन्धित वर्ष में देय कुल कम्पोजिट फीस की अधिकतम 25 प्रतिशत राशि को अनुज्ञाधारी के आवेदन पर उस समूह की सम्बन्धित वर्ष की देशी मदिरा की वार्षिक राशि में सम्मिलित किया जा सकेगा।

12.4.3 वर्ष 2020–21 की वार्षिक राशि में सम्मिलित की जाने वाली अधिकतम कम्पोजिट फीस की 25 प्रतिशत राशि जोड़कर वर्ष 2020–21 के लिये उस समूह की वार्षिक राशि (ई.पी.ए) निर्धारित होगी। इस अधिकतम 25 प्रतिशत कम्पोजिट फीस का समायोजन वित्तीय वर्ष 2020–21 के माह सितम्बर से माह जनवरी तक 4 प्रतिशत प्रति माह एवं माह फरवरी में 5 प्रतिशत निर्धारित मासिक गारन्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम पर देय आबकारी शुल्क के विरूद्ध किया जा सकेगा।

12.5 वर्ष 2020–21 के लिये चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारणः–

12.5.1 वर्ष 2020–21 के लिये ''चतुर्थ श्रेणी'' की नगर पालिका क्षेत्रो (सागवाड़ा नगर पालिका को छोड़कर) में स्थित देशी मदिरा दुकानों की कम्पोजिट फीस की गणना निम्न प्रक्रिया के अनुसार की जावेगीः–

(क) वर्ष 2020–21 के लिये सम्बन्धित नगर पालिका क्षेत्र में वर्ष 2019–20 में संचालित समस्त कम्पोजिट दुकानों की राजस्थान राज्य ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.एल) की कुल एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) का 7 प्रतिशत राशि के बराबर कम्पोजिट फीस की गणना की जायेगी।

(ख) आबकारी नीति के बिन्दु संख्या 3.13.1 (क) के अनुसार गणना की गई राशि को संबंधित नगर पालिका क्षेत्र की सभी देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों में समान रूप से विभाजित कर प्रत्येक देशी मदिरा कम्पोजिट दुकान की कम्पोजिट फीस निर्धारित की जायेगी।

12.6 ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारण:–

(i) वर्ष 2020–21 के लिये ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस वर्ष 2019–20 की भा.नि.वि.मदिरा एवं बीयर की राजस्थान राज्य ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.एल.) डिपो की एन्युलाईज्ड बिलिंग रशि (Annualised Billing Amount) के 7 **प्रतिशत** अथवा वर्ष 2019–20 हेतु **निर्धारित कम्पोजिट फीस अथवा रू. 50,000/–** जो भी अधिक हो, निर्धारित की जावेगी।

(ii) वर्ष 2020–21 में ग्रामीण क्षेत्र के किसी समूह में एक से अधिक कम्पोजिट दुकाने होने पर आर.एस.बी.सी.एल. से भा.नि.वि. मदिरा एवं बीयर की सम्बन्धित वर्ष के लिये कुल एनुएलाईज्ड बिलिंग राशि को समान रूप से विभाजित किया जाकर सम्बन्धित वर्ष के लिये प्रति कम्पोजिट दुकान के लिये कम्पोजिट राशि निर्धारित की जायेगी ।

12.7 वर्ष 2020–21 में ''चतुर्थ श्रेणी'' नगर पालिका की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों अथवा ग्रामीण क्षेत्र के देशी मदिरा कम्पोजिट समूह की प्रत्येक दुकान के लिये सम्बन्धित वर्ष के लिये जमा कम्पोजिट फीस की 50 प्रतिशत राशि उस दुकान अथवा समूह के लिये सम्बन्धित वर्ष में भा.नि.वि.म./बीयर निर्गम के लिये देय ''स्पेशल वेण्ड फीस'' के पेटे सम्बन्धित वर्ष में समायोजन योग्य होगी एवं सम्बन्धित वर्ष के दौरान इस राशि के समाप्त होने पर ''स्पेशल वेण्ड फीस'' पृथक से नकद देय होगी।

12.8 वर्ष 2020–21 में जिन समूहो में कम्पोजिट शुल्क की राशि रूपये एक करोड से अधिक होने पर, उन समूह के अनुज्ञाधारियों को कम्पोजिट शुल्क की 50 प्रतिशत राशि दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व राजकोष में जमा करानी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि आगामी तीन माह की अवधि में समान तीन किश्तों में जमा करानी होगी।

12.9 (i) भा.नि.वि. मदिरा के लिये वर्ष 2019–20 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2020–21 के उसी त्रैमास में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने तथा बीयर के लिये वर्ष 2019–20 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2020–21 के उसी त्रैमास में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने वाले कम्पोजिट समूहों (परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों को छोड़कर) के अनुज्ञाधारियों पर उनके द्वारा कम उठाई गई भा.नि.वि. मदिरा की मात्रा पर रू. 20/– प्रति बल्क लीटर तथा कम उठाई गई बीयर की मात्रा पर रू. 10/– प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि वसूली योग्य होगी। उक्त कम उठाव वाली दुकानों की गणना दुकानवार प्रत्येक त्रैमास के पश्चात् की जायेगी। इस हेतु विस्तृत प्रक्रिया एवं निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे।

(ii) जिन कम्पोजिट दुकान/समूहों की कम्पोजिट फीस रूपये 50 लाख से अधिक है ऐसे दुकान/ समूहों हेतु प्रति त्रैमास के लिये अपने निर्धारित कोटे से न्युनतम 5 प्रतिशत तथा अधिकतम 20 प्रतिशत तक भा.नि.वि.म./बीयर के उठाव किये जाने पर, उनके द्वारा अधिक उठाई गई भा.नि.वि. मदिरा/बीयर पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क का प्रावधान किया जाकर अधिक उठाई गयी मात्रा पर निम्नानुसार प्रतिशत में अतिरिक्त आबकारी छूट देय होगा एवं अधिक उठाई गई मात्रा को आगामी कम्पोजिट फीस में नहीं जोड़ा जावेगा।

क्र0सं0	कम्पोजिट फीस	बीयर पर अतिरिक्त उठाव पर देय अतिरिक्त आबकारी शुल्क प्रतिशत में	भा.नि.वि.मदिरा पर अतिरिक्त उठाव पर देय अतिरिक्त आबकारी शुल्क प्रतिशत में
1	50 लाख से 1 करोड तक	30	30
2	1 करोड़ से 1.5 करोड़	20	20
3	रू. 1.5 करोड़ से अधिक	10	10

भारत निर्मित विदेशी मदिरा के 950 रूपये तक ई.डी.पी. वाले ब्राण्ड पर अतिरिक्त आबकारी डयूटी में उपरोक्त क्रम संख्या 1 के लिये 20 प्रतिशत का प्रावधान लागू होगा।

13. दुकानों का संचालन

13.1 आवेदक को अपनी देशी मदिरा दुकान पर देशी मदिरा के साथ राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) एवं कम्पोजिट दुकानों पर देशी मदिरा के साथ /राजस्थान निर्मित मदिरा/भा.नि.वि.म./वाईन/आर.टी.डी./बीयर बेचने की अनुमति होगी । आवेदक को अपनी दुकान पर किसी भी रूप में मदिरा पान कराने की अनुमति नहीं होगी ।

13.2 अनुज्ञाधारी को देशी मदिरा/ राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) की आपूर्ति राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के निर्धारित गोदाम से लेनी होगी। राज्य के निजी क्षैत्र में कार्यरत डिस्टलरीज व पात्र बोटलिंग प्लाटंस द्वारा निर्मित की गई देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा भी राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के गोदामो पर बिक्री हेतु सम्बन्धित डिस्टलरीज द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।

13.3 खुदरा अनुज्ञाधारी को निर्धारित होने वाली एकाकी विशेषाधिकार राशि का न्यूनतम 30 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) का एवं शेष 70 हिस्सा देशी मदिरा का होगा, जिसमें से 50/60 यूपी मदिरा का न्यूतनत हिस्सा 40 प्रतिशत तथा 5 यूपी से 40 यूपी देशी मदिरा का हिस्सा 60 प्रतिशत होगा।

13.4 अनुज्ञाधारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम दर पर एवं निर्धारित अधिकतम मूल्य से अधिक दर पर मदिरा का विक्रय नही कर सकेगें। मदिरा का अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक दर पर विक्रय करने पर अनुज्ञाधारी के विरूद्व नियमानुसार कडी कार्यवाही की जायेगी।

13.5 वर्ष 2016–17 के अनुरूप मदिरा भण्डारण के लिये एक गोदाम की अनुमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15–12–2016 के अध्यधीन दी जा सकेगी। जिस हेतु कम्पोजिट/देशी मदिरा के ग्रुप के लिए जिस ग्रुप में एक ही दुकान है वहां के लिए ईपीए का 2 प्रतिशत अथवा 1.00 लाख रूपये वार्षिक जो भी अधिक हो तथा जिस समुह में एक से अधिक दुकानें है उनसे इपीए का 4 प्रतिशत या 2 लाख रूपये जो भी अधिक हो वार्षिक फीस देय होगी। देशी मदिरा/कम्पोजिट मदिरा समुह अपने विशेषाधिकार समुह में सुविधानुसार उपलब्ध स्थल पर अनुमत किये जा सकेंगें, परन्तु, देशी/कम्पोजिट समुह में कोई भी गोदाम की अवस्थिति की स्वीकृति पड़ोस के अन्य समुह के लिए स्वीकृत गोदाम/दुकान से लगता हुआ गोदाम नहीं खोला जा सकेगा। उनकी पड़ोस के गोदाम/दुकान से न्युनतम 500 मीटर की दूरी से कम दूरी पर स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा ।

13.6 दुकानों के बारे में अन्य प्रावधान संलग्न अनुज्ञापत्र शर्तो में है । आवेदक को इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिये । किसी भी आवेदक के आवेदन पर स्वीकृति जारी हो जाने के उपरान्त यदि वह उसे आवंटित दुकान के क्षेत्र / कस्बे / गांव में दुकान नहीं लगा पाता है, तो भी वह वार्षिक राशि या उसके द्वारा जमा करवाई गई किसी भी प्रकार की राशि में छूट अथवा उसकी वापसी का अधिकारी नहीं होगा ।

14. दुकानों की संख्या व अवस्थिति

देशी मदिरा समूह में सम्मिलित दुकाने संबंधित ग्राम पंचायत अथवा नगर निगम /नगर परिषद/नगर पालिका के सम्बन्धित वार्ड में किसी भी नियमानुकूल अवस्थिति पर लगाई जा सकेगी परन्तु दो पड़ौसी समूहो में अस्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा रोकने के उद्धेश्य से जिला आबकारी अधिकारी इस संबंध में उचित निर्णय ले सकेगा ।

15. आबकारी शुल्क व अन्य प्रभार

15.1 वर्ष 2020–21 में देशी मदिरा तथा राजस्थान निर्मित मदिरा(RML) पर आबकारी शुल्क तथा बेसिक लाईसेंस फीस निम्नानुसार देय है:–

क्र0 सं0	मदिरा का प्रकार	आबकारी शुल्क प्रति एलपीएल राशि रूपयों में	बेसिक लाईसेंस फीस प्रति बल्क लीटर (राशि रूपयों में)
1	देशी मदिरा	170	10
2	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)	170	50

15.2 अनुज्ञाधारी द्वारा मदिरा क्रय करते समय उनसे आबकारी ड्यूटी के साथ बेसिक लाईसेन्स फीस भी वसूल की जायेगी।

15.3 देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) पर रू. 1/–प्रति बल्क लीटर की दर से परमिट फीस देय होगी। अनुज्ञाधारी को उक्त निर्धारित दर से परमिट फीस का भुगतान करना होगा।

15.4 इसके अतिरिक्त मदिरा के मूल्य का भुगतान राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स को किया जाना होगा ।

15.5 देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा के विक्रय मूल्य पर 10 प्रतिशत की दर से वेट एवं अन्य देय कर, शुल्क इत्यादि वसूल किया जायेगा।

15.6 आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2020–21 के प्रावधान एवं इसके तहत जारी की गई अधिसूचनाऐं/विभागीय परिपत्र/आदेश एवं राज्य सरकार /विभाग द्वारा मदिरा दुकानों के संबंध में समय–समय पर जारी आदेश/निर्देश अन्तिम होगे।

16. दुकानों का आवंटन/लॉटरी प्रक्रिया

16.1 किसी समूह/दुकान हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी की प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा। लॉटरी राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक 07.03.2020 को प्रातः 11.00 ए.एम. से जिला मुख्यालय पर निकाली जायेगी जो आवश्यकता होने पर आगामी कार्यदिवस को भी जारी रहेगी। लॉटरी निकालने के स्थान की जानकारी/सूचना जिला कलेक्टर एंव सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जावेगी। इस कार्यवाही के दौरान उस दुकान के समस्त आवेदक उपस्थित रह सकते है । आवेदकों को चाहिये कि लॉटरी निकालने की इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिये प्रवेश हेतु वह आवेदन पत्र की दी गई रसीद (आवेदन पत्र का भाग III) अपने साथ रखें।

16.2 किसी दुकान के लिए लॉटरी निकालने के लिये उस दुकान हेतु प्राप्त समस्त आवेदन के भाग II को पृथक कर ऐसी समस्त पर्चियों को एक साथ डालकर लॉटरी निकाली जायेगी ।

16.3 किसी समूह/दुकान हेतु दो आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में सफल आवेदक के अलावा दूसरे आवेदक को आरक्षित सूचि (reserve list) में रखा जावेगा। दो से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में दो आवेदको की आरक्षित सूची (reserve list) बाबत भी लॉटरी निकाली जायेगी ताकि यदि मूल सूचि में चयनित कोई आवेदक निर्धारित अवधि में अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि एवं धरोहर राशि जमा नही करवाता हैं या देशी मदिरा की अन्य दुकान उसको आवंटित हो जाती है तो आरक्षित सूचि में से उसी वरीयता क्रम में स्वीकृति जारी की जा सके।

17. राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) के लिए उल्लेखित विशिष्ठ प्रावधानों के अलावा अन्य सभी प्रावधान देशी मदिरा के प्रावधान लागू रहेगें।

18. आबकारी बन्दोबस्त, मद्य–संयम एवं शुष्क दिवसों के संबंध में अन्य प्रावधान/प्रक्रिया/व्यवस्था पूर्व नीति के अनुरूप यथावत रखे जायेंगे।

19. आबकारी आयुक्त को अधिकार होगा कि उचित कारण होने पर किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश पारित कर दें । आवेदन आमंत्रण एवं लॉटरी की इस प्रक्रिया के बारे में किसी भी प्रकार का संशय / विवाद उत्पन्न होने पर आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा ।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

राजस्थान – सरकार
आबकारी – विभाग

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अन्तर्गत देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) की खुदरा बिक्री के लिए अनुज्ञापत्र

अनुज्ञापत्र संख्या ..... दिनांक : .....

अनुज्ञाधारी का नाम	पिता/पति का नाम	आयु	पूर्ण पता

उपर्युक्त व्यक्तियों को विभाग द्वारा निर्देशित राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के गोदाम से देशी मदिरा प्राप्त कर समूह क्षेत्र में अवस्थित दुकान / दुकानों पर खुदरा विक्रय करने हेतु दिनांक .....से ..... तक की अवधि के लिए नीचे वर्णित शर्तों पर अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है।

देशी मदिरा/ राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) समूह का नाम :.....
समूह में निर्धारित दुकानों की संख्या : .....
समूह में निर्धारित दुकानों का विवरणः .....
.....
.....

इस अनुज्ञापत्र की पालना सुनिश्चित करने के लिये उक्त अनुज्ञाधारी/अनुज्ञाधारियों ने वर्ष 2020–21 की निर्धारित वार्षिक राशि की 14.5 प्रतिशत अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि एवं वार्षिक राशि की 4 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करा दी है ।

देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) खुदरा विक्रय अनुज्ञापत्र (लाईसेन्स) की शर्ते

1. **राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों आदि की पालना :–**

अनुज्ञाधारी, राजस्थान आबकारी अधिनियम, **1950** (राजस्थान अधिनियम संख्या–2, 1950) एवं उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम, **1956** एवं आवेदन के सदर्भ में जारी विस्तृत निर्देश एवं शर्तो, अनुज्ञाधारी के पक्ष में जारी की गई स्वीकृति, इस अनुज्ञापत्र की शर्तों तथा समय–समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों से पाबन्द रहेगा।

2. **वार्षिक राशि एवं अन्य राशियाँ तथा उनका भुगतान :–**

2.1 अनुज्ञाधारी को राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 24 एवं 30 तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम संख्या 67 (आई) के अधीन एकाकी विशेषाधिकार के लिए वर्ष 2020–21 (दिनांक 1.4.2020 से 31.3.2021 तक) की अवधि के लिए निर्धारित वार्षिक राशि रूपये .....(अंकों में) रूपये .... (शब्दों में) का नियमानुसार भुगतान करना होगा।

2.2 वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि का भुगतान 12 समान मासिक किश्तों में करना होगा। माह का आशय कैलेण्डर माह से है। प्रत्येक माह की मासिक किश्त का भुगतान उस माह की अंतिम दिनांक तक करना होगा। देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) पर भुगतान की गई आबकारी ड्यूटी का मासिक किश्त की राशि के प्रति रिबेट (भराव) देय होगा, जो किसी भी दशा में मासिक किश्त की राशि से अधिक नही होगा परन्तु माह अप्रेल से जून के मध्य मासिक किश्त से अधिक उठाई गई मदिरा का भराव माह जुलाई से सितम्बर तक की किश्तो पेटे दिया जा सकेगा ।

2.3 खुदरा अनुज्ञाधारी को निर्धारित होने वाली एकाकी विशेषाधिकार राशि का न्यूनतम 30 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) का एवं शेष 70 हिस्सा देशी मदिरा का होगा, जिसमें से 50/60 यूपी मदिरा का न्यूतनत हिस्सा 40 प्रतिशत तथा 5 यूपी से 40 यूपी देशी मदिरा का हिस्सा 60 प्रतिशत होगा।

2.4 अनुज्ञाधारी द्वारा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की पूर्ति न्युनतम 30 प्रतिशत 25 यूपी **राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)** के उठाव से करनी होगी तथा शेष 70 प्रतिशत मासिक एकाकी विशेषाधिकार की पूर्ति देशी मदिरा उठाव से करनी होगी, जिसमें से न्युनतम 40 प्रतिशत पूर्ति 50/60 यू.पी. देशी मदिरा उठाव से तथा अधिकतम 60 प्रतिशत पूर्ति 5 यूपी से 40 यूपी की देशी मदिरा के उठाव से की जा सकेगी।

2.5 अनुज्ञाधारी द्वारा किसी माह में देशी मदिरा एवं **राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)** गारन्टी पूर्ति उक्त अनुपात में नही करने की स्थिति में संबंधित त्रैमास के अन्य माह/माहों में देशी मदिरा एवं **राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)** के उठाव के लिये जमा कराई गई आबकारी ड्यूटी से समायोजन किया जा सकेगा।

2.6 वर्ष 2020–21 **के** दौरान राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) तथा देशी मदिरा का मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की पूर्ति का 100 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक अधिक उठाव करने पर अनुज्ञाधारी द्वारा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के 100 प्रतिशत से अधिक उठाई गई मदिरा की मात्रा पर देय आबकारी शुल्क में 40 प्रतिशत छूट दी जायेगी। जिसका प्रति त्रेमासिक आधार पर आगणित किया जावेगा परन्तु इसके साथ ही राजस्थान निर्मित मदिरा का न्युनतम 30 प्रतिशत उठाव होना आवश्यक होगा। **यह** छूट मासिक एकाकी विशेषाधिकार के 150 प्रतिशत अधिकतम तक ही छूट मिलेगी तथा आगामी वर्ष में दुकान/समुह के इपीए निर्धारण में इसको सम्मिलित नहीं किया जावेगी।

3. **मासिक एकाकी विशेषाधिकार के कोटे को अन्य अनुज्ञाधारी को स्थानान्तरित करने की व्यवस्था –**

3.1 मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में एक अनुज्ञाधारी अपने समान अन्य अनुज्ञाधारी को अपने बुनियादी अंश (Basic Quota) के त्रैमासिक आधार पर अपने कोटे के अंश विशेष को स्थानान्तरित करने की अनुमति दी जा सकेगी। इस बाबत बिक्री की शर्तें अंश विशेष को प्राप्त करने वाले अनुज्ञाधारी तथा अंश विशेष को देने वाले अनुज्ञाधारी द्वारा पारस्परिक आधार पर तय की जा सकेगी। स्थानान्तरित मात्रा को देने वाले के कोटे से कम किया जावेगा परन्तु मासिक विशेषाधिकार में कोई बदलाव नहीं किया माना जायेगा। इस प्रकार के कोटे का आपसी स्थानान्तरण ऑनलाईन स्वीकृत करना होगा। इस प्रकार के कोटे के स्थानान्तरण हेतु देशी मदिरा के लिए 10 रूपये प्रति बल्क लीटर की दर से राजकोष में कोटा देने वाले अनुज्ञाधारी द्वारा ट्रांस्फर फीस के रूप में जमा कराना होगा, परन्तु, उपर्युक्त प्रावधान सम्बन्धित आबकारी जिले में ही स्थानान्तरण अनुमत होगा।

3.2 परन्तु उक्त स्थानान्तरित कोटे की मात्रा देने वाले अनुज्ञाधारी के कोटे की मात्रा उसके वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार की राशि के 20 प्रतिशत की मात्रा से अधिक नहीं हो सकेगा। साथ ही कोई भी ऐसी मात्रा प्राप्त करने वाला अनुज्ञाधारी भी अपने वार्षिक एकाकी विशेषाधिकारी की राशि के 20 प्रतिशत की मात्रा से अधिक प्राप्त नहीं कर सकेगा। आगामी वर्ष में एकाकी विशेषाधिकार राशि निर्धारण में इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा।

3.3 विलम्ब से जमा करायी गयी राशि पर राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अनुसार ब्याज भी वसूली योग्य होगा। ब्याज के भुगतान करने के लिये पृथक से नोटिस की आवश्यकता नही होगी।

3.4 अनुज्ञाधारी को राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियमों एवं इसके अलावा अन्य कोई फीस, कर प्रभार, यदि कोई देय होगा तो अनुज्ञाधारी को अलग से भुगतान करना होगा।

3.5 वर्ष 2020–21 के लिये निर्धारित वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की 14.5 प्रतिशत राशि अग्रिम वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के रूप में दिनांक 01.04.2020 या दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व राजकोष में जमा करानी होगी। इस अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि वित्तीय वर्ष 2020–2021 के माह जनवरी से माह फरवरी तक 4 प्रतिशत राशि प्रतिमाह तथा माह मार्च में 6.5 प्रतिशत राशि निर्धारित मासिक गारण्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम के लिये देय आबकारी शुल्क अथवा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि में समायोजन किया जा सकेगा।

4. अनुज्ञापत्र की वैधानिक स्थिति :–

4.1 जिन व्यक्तियों के पक्ष में अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया है वे व्यक्ति ही अनुज्ञाधारी की श्रेणी में माने जायेगे तथा वे ही इस अनुज्ञापत्र के तहत निर्धारित क्षेत्र में देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित विदेशी मदिरा की बिक्री करने हेतु अधिकृत होंगे।

4.2 अनुज्ञाधारी, अनुज्ञापत्र देने वाले अधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञा पत्र हस्तान्तरित नही कर सकेगा। अनुज्ञापत्र की अवधि में अनुज्ञाधारी की मृत्यु हो जाने पर उसके पात्र वारिसान द्वारा एक माह की अवधि में अपने नाम पर अनुज्ञापत्र स्थानान्तरण करवाने हेतु संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को आवेदन करना होगा। अनुज्ञानपत्र विधिवत स्थानान्तरण नही कराने पर दुकानों का संचालन अवैध होगा एवं ऐसी स्थिति में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाकर समस्त जमा राशि जब्त सरकार की जावेगी। एवं अवैध संचालन के लिये वैधानिक कार्यवाही हेतु उत्तरदायित्व होगें किसी समूह में एक से अधिक अनुज्ञाधारी होने की स्थिति में यदि किसी अनुज्ञाधारी की मृत्यु हो जाती है तो शेष अनुज्ञाधारी अनुज्ञापत्र की शर्तो से यथावत् बाध्य रहेगें।

5. धरोहर राशि (Security Deposit) :

5.1 सफलतापूर्वक समूह/दुकान का संचालन कर लेने एवं कोई बकाया नही रहने पर धरोहर राशि का प्रतिदाय किया जायेगा।

6. दुकानों की अवस्थिति :

6.1 देशी मदिरा समूह में सम्मिलित दुकाने संबंधित ग्राम पंचायत अथवा नगर निगम /नगर परिषद/नगर पालिका के सम्बन्धित वार्ड में किसी भी नियमानुकूल अवस्थिति पर लगाई जा सकेगी परन्तु दो पड़ौसी समूहो में अस्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा रोकने के उद्धेश्य से जिला आबकारी अधिकारी इस संबंध में उचित निर्णय ले सकेगा ।

6.2 अनुज्ञाधारी दुकानें प्रारम्भ करने से पूर्व दुकानों की अवस्थिति की स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेजों सहित, सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी को नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करेगा। उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञाधारी द्वारा चाही गई अवस्थिति पर दुकान लगाने की स्वीकृति देने से मना कर सकता है। ऐसी स्थिति में अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा उसके द्वारा

देय राशियों में छूट पाने का हकदार नही होगा। अनुज्ञाधारी द्वारा दुकान स्थानान्तरण/ लोकेशन स्वीकृत कराने हेतु जमा कराई गई राशि अप्रतिदाय (non refundable) होगी। साथ ही वह अन्य स्थान पर नियमानुसार दुकान स्वीकृत कराने हेतु आवेदन जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा।

6.3 जिला आबकारी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर स्वीकृत स्थान से दुकान हटवा सकेगा। इस प्रकार स्वीकृत दुकानों को एक स्थान से उसी समूह क्षेत्र में दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने या बन्द रहने या संचालन नही करने पर अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा वार्षिक/मासिक किश्त की राशि में छूट पाने का हकदार नही होगा तथा अनुज्ञाधारी द्वारा दुकान स्थानान्तरण/लोकेशन स्वीकृत कराने हेतु जमा कराई गई राशि अप्रतिदाय (non refundable) होगी।

6.4 निर्धारित दुकानों की संख्या तक दुकानों की अवस्थिति स्वीकृत नही कराने अथवा किसी कारणवश उन्हें संचालित नही करने की स्थिति में अनुज्ञाधारी उसके द्वारा देय राशियों में किसी प्रकार की छूट पाने का हकदार नही होगा।

6.5 अनुज्ञाधारी मदिरा दुकान अस्पताल, महाविद्यालय एवं सीनियर हायर सैकण्डरी शिक्षण संस्थानों, सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों, आंगनवाडी केन्द्रो, धार्मिक स्थानों, सिनेमा हॉल और नाट्य गृह से 200 मीटर की परिधि में नही लगा सकेगा, परन्तु एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में धार्मिक स्थानों से दूरी संबंधी प्रतिबंध जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी हुई सूची में उल्लेखित धार्मिक स्थानों पर लागू होगा । महाविद्यालय, सीनियर हायर सैकण्डरी शिक्षा संस्थानों एवं सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अन्य विद्यालयों के निकट की दुकानें विद्यालय समय में बन्द रहेगी। एवं शिक्षण संस्थान के बन्द होने के एक घन्टे बाद ही दुकान खोली जा सकेगी। इस बाबत राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के प्रावधान एवं विभागीय निर्देश अन्तिम होगे।

6.6 अनुज्ञाधारी, फैक्ट्री अथवा श्रमिक व हरिजन बस्ती से 200 मीटर की परिधि में दुकान नही लगा सकेगा। हरिजन बस्ती से अभिप्राय ऐसे नगर पालिका वार्ड से होगा जिसमें अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार उस वार्ड की जनसंख्या की 50 प्रतिशत से अधिक है।

6.7 माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2016, 31.03.2017, 11.07.2017 एवं 23.02.2018 के अनुसार राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गो (National highways and State highways) पर मदिरा की दुकानों अवस्थिति के संबंध में निर्धारित प्रतिबन्धित दुरी की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

6.8 अनुज्ञाधारी को अपनी दुकान के दरवाजे पर 125 X 75 से.मी. आकार का एक साईन बोर्ड जिस पर अनुज्ञाधारी का नाम, दुकान का विवरण, दुकान खुलने व बन्द होने का समय तथा दुकान जिला आबकारी अधिकारी से अनुमोदित होने आदि का उल्लेख हो, लगाना होगा। मदिरा दुकान का केवल एक ही दरवाजा सार्वजनिक सड़क पर होगा तथा इस एक दरवाजे के अतिरिक्त कोई खिड़की, आला या दीवार

में छेद इत्यादि नही होगा । दरवाजे के अलावा पूरी दुकान पुख्ता पक्की होगी । आमतौर से मदिरा की दुकान इस प्रकार होनी चाहिए कि दरवाजे के बाहर से भीतर के सब हालात स्पष्टतया दिखाई दे सके। दुकान का काउण्टर विहित रीति के अनुसार रखना होगा। जिस कमरे में दुकान होगी उसमें अनुज्ञाधारी एवं उसके अधिकृत नौकर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को नही रख सकेगा। अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहक को किसी प्रकार का प्रलोभन नही दे सकेगा, जैसे कि गाना, नाच व रेडियों/टेलीविजन का कार्यक्रम इत्यादि और न किसी प्रकार का विज्ञापन ही इस विषय पर कर सकेगा। इसके साथ ही किसी भी मदिरा के ब्राण्ड के विक्रय को बढ़ाने के लिए कोई स्कीम, भेट, नजराना या प्रलोभन नही ले सकेगा । इसके अलावा किसी भी मदिरा ब्राण्ड का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का विज्ञापन / छद्म विज्ञापन किसी भी रूप में नही कर सकेगा ।

6.9 सभी मदिरा दुकानों को स्वच्छ रखना होगा तथा नियमित रूप से साफ–सफाई रखनी होगी। मदिरा के स्टॉक को दुकान में व्यवस्थित रूप से रखना होगा। विक्रय की जाने वाली विभिन्न किस्म की मदिरा को दुकान के भीतर उचित रूप से प्रदर्शित (Display) करना होगा। इसके अलावा दुकान के दरवाजे के पास प्रमुख मदिरा ब्राण्डों का अधिकतम खुदरा मूल्य प्रर्दशित करने वाली स्पष्ट पठनीय सूची विभाग द्वारा निर्धारित साईज की लगानी होगी । यह सूची ऐसे स्थान पर लगानी होगी जहां से ग्राहक इसे आसानी से पढ़ सके / देख सकें।

6.10 कानून व व्यवस्था की दृष्टि से किसी दुकान की अवस्थिति वर्जित स्थान पर होने की दशा में अगर उस दुकान को बन्द करवाया जाता है तो सक्षम अधिकारी की अनुमति से अनुज्ञाधारी उस समूह क्षेत्र में अन्यत्र स्थान पर नियमानुसार दुकान खोल सकेगा परन्तु ऐसा करने पर वार्षिक / मासिक किश्त की राशि के भुगतान में किसी प्रकार की छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नही होगा।

6.11 अनुज्ञाधारी नियमानुसार राशि का भुगतान कर जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से स्वीकृत कराई गई दुकान को अपने क्षैत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर सकेगा।

6.12 वर्ष 2016–17 के अनुरूप मदिरा भण्डारण के लिये एक गोदाम की अनुमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15–12–2016 के अध्यधीन दी जा सकेगी। जिस हेतु कम्पोजिट/**देशी** मदिरा के ग्रुप के लिए जिस ग्रुप में एक ही दुकान है वहां के लिए ईपीए का 2 प्रतिशत अथवा 1.00 लाख रूपये वार्षिक जो भी अधिक हो तथा जिस समुह में एक से अधिक दुकानें है उनसे इपीए का 4 प्रतिशत या 2 लाख रूपये जो भी अधिक हो वार्षिक फीस देय होगी। देशी मदिरा/कम्पोजिट मदिरा समुह अपने विशेषाधिकार समुह में सुविधानुसार उपलब्ध स्थल पर अनुमत किये जा सकेंगें, परन्तु, देशी/कम्पोजिट समुह में कोई भी गोदाम की अवस्थिति की स्वीकृति पड़ोस के अन्य समुह के लिए स्वीकृत गोदाम/दुकान से लगता हुआ गोदाम नहीं खोला जा सकेगा। उनकी पड़ोस के गोदाम/दुकान से न्युनतम 500 मीटर की दूरी से कम दूरी पर स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा ।

6.13 देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा खुदरा विक्रय अनुज्ञापत्र के संबंध में जो भी कर देय होंगे वह अनुज्ञाधारी को अलग से भुगतान करने होंगे।

7. **<u>दुकानों का संचालन :</u>**

7.1. दुकान खुली रहने का समय प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक रहेगा, परन्तु आबकारी आयुक्त द्वारा बिना पूर्व सूचना के समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

7.2 वर्तमान में नियत 5 शुष्क दिवस (यथा गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी पुण्य तिथि 30 जनवरी, महावीर जयंती, स्वाधीनता दिवस एवं गांधी जयंती हैं) रहेगे। भविष्य में राज्य सरकार/आबकारी आयुक्त द्वारा नियत किये जाने वाले शुष्क दिवसों पर दुकानें बंद रखनी होगी। शुष्क दिवसों की सूचना अनुज्ञाधारी संबंधित आबकारी निरीक्षक से प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त दुकान को बन्द रखने व बिक्री समय पर जो नियंत्रण समय–समय पर लगाये जावेंगे उनका पालन भी अनुज्ञाधारी को करना होगा और इसके लिए उसे न तो कोई क्षतिपूर्ति दी जायेगी और न उसके द्वारा देय राशि में ही कोई कमी की जावेगी। यदि अनुज्ञाधारी की दुकानें कानून व व्यवस्था संबंधी कारणों से बन्द रहती है तो भी देय राशि में किसी प्रकार की छूट नही दी जावेगी। शुष्क दिवसों की पठनीय सूची दुकान के काउण्टर के पास लगानी होगी।

7.3 राज्य सरकार, आबकारी आयुक्त अथवा अनुज्ञापत्र देने वाला अधिकारी अनुज्ञाधारी को बिना नोटिस दिये शुष्क दिवसों के अतिरिक्त किसी विशेष अवसर पर या विशेष कारणवश मदिरा के विक्रय के समय में परिवर्तन कर सकेगा या दुकान बन्द रखने की आज्ञा दे सकेगा। ऐसी दशा में अनुज्ञाधारी को इसके लिये न तो कोई क्षतिपूर्ति की जायेगी और न देय राशि में कोई कमी की जायेगी।

7.4 देशी मदिरा अनुज्ञाधारी मदिरा की आपूर्ति राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के निर्धारित गोदाम से लेगा और उसे अपनी दुकान पर सबसे अधिक सीधे मार्ग से अथवा पास में अंकित मार्ग से नियत समय में सुरक्षित रूप से लायेगा और उसके लिए पास भी साथ रखना होगा। दूसरे स्थान या किसी भी अन्य अनुज्ञाधारी से मदिरा नही ला सकेगा, न अपने पास रख सकेगा और न ही उसका विक्रय कर सकेगा।

7.5 अनुज्ञाधारी को अपने क्षेत्र की दुकान / दुकानों तथा विभाग द्वारा स्वीकृत खुदरा गोदाम के मध्य माल लाने व ले जाने हेतु जिला आबकारी अधिकारी से अलग से परमिट लेने की आवश्यकता नही होगी। इस हेतु ''परिवहन घोषणा पत्र'' अनुज्ञाधारी द्वारा जारी किया जावेगा। परिवहन घोषणा–पत्र पुस्तिका विभाग द्वारा अनुज्ञाधारी को जारी की जावेगी। इस घोषणा–पत्र की मान्यता अवधि एक दिन की होगी।

7.6 मदिरा दुकान पर किसी भी रूप मे मदिरा पान करना/ कराना पूर्णतः निषिद्ध होगा । स्वीकृत दुकान पर वैध रूप से क्रय की गई राज्य में विक्रय योग्य मदिरा के अतिरिक्त अन्य कोई खाद्य पदार्थ/पेय पदार्थ/अन्य वस्तुऐं यथा खाली बोतल, काटॅन इत्यादि नही रखे जा सकेगे।

7.7 मदिरा दुकानो पर नौकर रखे जाने की स्थिति

7.7.1 अनुज्ञाधारी मदिरा लाने व बेचने के लिये जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिये वांछित पात्रता वाले व्यक्ति को जिला आबकारी अधिकारी की पूर्वानुमति से ऑनलाईन नौकरनाम सम्पादित कर अधिकतम चार नौकर रख सकेगा। अनुज्ञाधारी की किसी विशेष कारण से अनुपस्थित की अवस्था में अनुज्ञाधारी के पिता/पति एवं अनुज्ञाधारी के वयस्क पुत्र को इस संबंध में लिखित स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी।

7.7.2 दुकान पर मदिरा बेचान करने वाले अधिकृत नौकर को उचित वेशभूषा में रहना होगा तथा उसे अपने नाम तथा विभाग द्वारा नौकरनामे के अनुमोदन के क्रमांक व दिनांक के उल्लेख वाली पट्टिका/लेमिनेटेड कार्ड लगाना होगा।

7.7.3 संबंधित जिला कार्यालय में मदिरा दुकान पर रखे जाने वाले नौकर के रजिस्टर का संधारण किया जायेगा।

7.7.4 मदिरा दुकान पर रखे नौकर द्वारा किये गये प्रत्येक काम के लिये अनुज्ञाधारी स्वंय उत्तरदायी होगा।

7.8 अनुज्ञाधारी को अनुज्ञापत्र की अवधि तक अपनी दुकान नियमित रूप से संचालित रखनी होगी और हर समय स्टॉक में देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा की इतनी मात्रा रखनी होगी, जो 15 दिन की बिक्री के लिए पर्याप्त हो। मदिरा का सारा स्टॉक उसी दुकान या स्वीकृत खुदरा गोदाम पर रखना होगा और उसी दुकान पर बेचना होगा, जिसके लिए उसे अनुज्ञापत्र दिया गया है।

7.9 अनुज्ञाधारी को भा.नि.वि. मदिरा के लिये वर्ष 2019–20 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2020–21 के उसी त्रैमास में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने तथा बीयर के लिये वर्ष 2019–20 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2020–21 के उसी त्रैमास में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने वाले कम्पोजिट समूहों एवं परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों सहित के अनुज्ञाधारियों पर उनके द्वारा कम उठाई गई भा.नि.वि. मदिरा की मात्रा पर रू. 20/– प्रति बल्क लीटर तथा कम उठाई गई बीयर की मात्रा पर रू. 10/– प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि वसूली योग्य होगी। उक्त कम उठाव वाली दुकानों की गणना दुकानवार प्रत्येक त्रैमास के पश्चात् की जायेगी।

7.10 अनुज्ञाधारी मदिरा बन्द बोतलों/अद्धों/पव्वों में ही विक्रय कर सकेगा।

7.11 अनुज्ञाधारी किसी एक व्यक्ति को एक समय में राजस्थान आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत खुदरा विक्रय हेतु उल्लेखित अधिकतम मात्रा से अधिक मात्रा में मदिरा सक्षम अधिकारी की आज्ञा के बिना एक साथ नही बेच सकेगा, लेकिन राज्य सरकार जब भी उचित समझेगी तब अधिसूचना जारी कर इस मात्रा में कमी या वृद्धि कर सकेगी, जिसकी पालना अनुज्ञाधारी को करनी होगी। ऐसी

आज्ञा के विरूद्व वह कोई आपत्ति नही कर सकेगा और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग कर सकेगा।

7.12 अनुज्ञाधारी 18 वर्ष से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को या जिस व्यक्ति का होश हवास दुरूस्त न हो, मदिरा नही बेच सकेगा। इसी प्रकार पुलिस व सेना के सिपाही या रेल व आबकारी के कर्मचारियों को भी जो वर्दी पहने हुए या ड्यूटी पर हो, मदिरा नही बेच सकेगा। वाहन चालकों को एवं हवाई जहाज के पायलटों को भी यात्रा के दौरान मदिरा नही बेच सकेगा।

7.13 अनुज्ञाधारी अथवा उसका नौकर अपनी दुकान पर किसी प्रकार दंगा, फसाद या जुआ नही होने देगा और ऐसे लोगों को जो कुख्यात बदमाश हों, दुकान पर आने नहीं देगा और रात को ऐसे बदमाशों को अपनी दुकान पर नही ठहरायेगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति दुकान में आवे जिसके विषय में पुलिस द्वारा दस्तान्दाजी योग्य और जमानत के अयोग्य अपराध का संदेह हो तो अनुज्ञाधारी या जो व्यक्ति उसकी ओर से दुकान पर काम करता हो तो उसका कर्तव्य होगा कि उसकी सूचना तुरन्त निकटवर्ती मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दें।

7.14 अगर अनुज्ञाधारी या उसका कोई प्रतिनिधि अन्य देशी मदिरा समूह क्षेत्र में अवैध रूप से देशी मदिरा भेजते हुए पाया जाता है तो अन्य कानूनी कार्यवाही के अलावा उस पर उचित शास्ति भी आरोपित की जा सकेगी ।

7.15 अनुज्ञाधारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूतनम विक्रय मूल्य एवं अधिकतम विक्रय मूल्य की सीमा में ही मदिरा का विक्रय कर सकेगा ।

8. अभिलेखों का संधारण :

8.1 अनुज्ञाधारी को देशी मदिरा की आमद, बिक्री और शेष बची मात्रा (Balance) का हिसाब निर्धारित रजिस्टर में दैनिक रूप से रखना होगा व एक निरीक्षण पंजिका भी रखनी होगी। यह रजिस्टर जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में मूल्य चुका कर प्राप्त करना होगा। दैनिक हिसाब विभागीय निर्देशानुसार संधारित करना होगा और मासिक आमद, बेचान व स्टॉक का नक्शा आगामी माह की 5 तारीख तक हलके के आबकारी निरीक्षक के पास पेश करना होगा।

8.2 आबकारी निरीक्षक अथवा निरीक्षण के लिये अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर अनुज्ञाधारी को अपना अनुज्ञापत्र, नौकर का नौकरनामा व बिक्री रजिस्टर, परमिट पास एवं मदिरा का तमाम स्टॉक, इत्यादि जांच हेतु बतलाना होगा तथा उसको दिन व रात में किसी भी समय दुकान में प्रविष्ट होने देगा और ऐसे अधिकारी को निरीक्षण के दौरान प्रत्येक प्रकार का सहयोग देगा।

8.3 अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त होने की स्थिति में अनुज्ञाधारी को देशी मदिरा के बचे हुए स्टाक एवं समस्त रिकार्ड की सूचना अविलम्ब अपने क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक को देनी होगी। समस्त रिकार्ड उसे आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में अविलम्ब जमा कराना होगा एवं बचे हुए स्टॉक का निस्तारण जिला आबकारी अधिकारी के आदेशानुसार करना होगा। निस्तारण होने तक बचा हुआ स्टॉक, आबकारी निरीक्षक एवं निवर्तमान अनुज्ञापत्र धारी के संयुक्त अभिरक्षण में ऐसे स्थान पर रहेगा, जहां

व्यवसाय किया जा रहा था एवं निस्तारण करने तक उस स्थान का किराया बिजली व्यय एवं अन्य अधिभार निवर्तमान अनुज्ञाधारी को ही देने होंगे।

8.4 अनुज्ञाधारी के दोष के कारण अनुज्ञापत्र निरस्त होने पर अनुज्ञाधारी जमाराज कराई गई समस्त राशि एवं स्टॉक उपलब्ध समस्त मदिरा जब्त सरकार होगी।

9. अनुज्ञापत्र को निरस्त करना :

9.1 अनुज्ञाधारी को मासिक किश्तों का भुगतान अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 2.1 के तहत निर्धारित अवधि तक करना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि तक मासिक किश्त को जमा नही कराने पर इसे अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लघंन माना जायेगा तथा इस आधार पर अनुज्ञापत्र को निरस्त किया जा सकेगा।

9.2 यदि अनुज्ञापत्र देने वाले अधिकारी अथवा उससे उच्च प्राधिकारी को किसी समय यह विश्वास हो कि अनुज्ञाधारी अपनी दुकान चालू नही रखता है अथवा ठीक तौर पर नही चलाता है अथवा किसी भी प्रकार आबकारी शुल्क व अन्य आबकारी प्रभारों की अपवंचना में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्मिलित है अथवा अन्य कोई उचित एवं पर्याप्त कारण हों तो ऐसी दशा में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

9.3 अनुज्ञापत्र की अवधि के दौरान अनुज्ञाधारी के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट 1985 अथवा आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 34 में उल्लेखित अधिनियमों तथा उसमें उल्लेखित धाराओं के अन्तर्गत अभियोग दर्ज होने या उनके सजायाब होने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

9.4 यदि अनुज्ञाधारी अवैध रूप से मदिरा, अफीम या अन्य मादक पदार्थ रखता है या बेचता है या किसी अन्य राज्य में अवैध रूप से मदिरा को बेचने का या अफीम या अन्य मादक पदार्थ बेचने का काम करता है या किसी ऐसी जगह से उसका संबंध है जहां से ये वस्तुएं अवैध रूप से लाई जाने का संदेह हो तो ऐसी दशा में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

9.5 अनुज्ञाधारी अथवा उसके नौकर द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियिम, 1950 उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम, 1956 अथवा आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एवं शर्तो, अनुज्ञाधारियों के पक्ष में जारी की गई स्वीकृति, इस अनुज्ञापत्र की शर्तों अथवा समय–समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

9.6 अनुज्ञाधारी का यह भी दायित्व होगा कि वह उसके समूह क्षैत्र में अवैध मदिरा विक्रय या गैर कानूनी मदिरा विक्रय की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरन्त जिला आबकारी अधिकारी या हल्के के आबकारी निरीक्षक को देगा । यदि यह पाया जाता है कि क्षैत्र में अवैध मदिरा विक्रय की जानकारी अनुज्ञाधारी को थी तथा इसकी सूचना वह उसके जिला आबकारी अधिकारी या आबकारी निरीक्षक को देने में असफल रहा तो ऐसे मामलो में अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा उसका अनुज्ञापत्र निरस्त

किया जा सकेगा तथा ऐसा अनुज्ञाधारी किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा रिफण्ड प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

9.7 **देशी मदिरा की जो समूह/दुकाने कम्पोजिट श्रेणी की स्वीकृत है, यदि उनका अनुज्ञाधारी** द्वारा अनुज्ञापत्र की शर्तो का उल्लंघन कर अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा/बीयर विक्रय करने तथा निर्धारित समय से अतिरिक्त समय पर दुकान खोलन पर राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 58सी के तहत दर्ज होने वाले अभियोगो में अनुज्ञा पत्र निलम्बन/निरस्तीकरण किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त अनुज्ञा पत्र की अन्य शर्तों के उल्लंघन करने पर प्रथम तीन बार अनुज्ञाधारी को लिखित चेतावनी दी जायेगी, तत्पश्चात, अभियोग दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

10. <u>बकाया राशियों की वसूली</u> :

अनुज्ञाधारी के विरूद्व किसी भी प्रकार का कोई आबकारी राजस्व मय ब्याज बकाया रहने की स्थिति में उसकी वसूली विभाग के पास अनुज्ञाधारी की किसी भी जमा राशि से, उनके द्वारा प्रस्तुत बैंक गारन्टी से तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं केन्द्रीय राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के प्रावधानों के अनुसार भू–राजस्व की बकाया की भॉति अनुज्ञाधारियो, उनके वारिसो/ उत्तराधिकारियों से की जायेगी। अनुज्ञाधारियों की सम्पतियों तथा उनके वारिसो/ उत्तराधिकारियों की सम्पतियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा। प्रथम प्रभार का अंकन अनुज्ञाधारी की स्वामित्व की परिसम्पत्तियों के मूल रेकार्ड/राजस्व रेकार्ड में अंकन अनुज्ञाधारी द्वारा कराया जाना होगा।

11. **<u>अन्य बिन्दु :</u>**

11.1 राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) के लिए उल्लेखित विशिष्ठ प्रावधानों के अलावा अन्य सभी प्रावधान देशी मदिरा के प्रावधान लागू रहेगें।

11.2 अनुज्ञाधारी के लिए अनिवार्य होगा कि वह आबकारी अधिनियम व नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट के तहत कारित अपराध उसकी जानकारी में आने पर जिला आबकारी अधिकारी या हल्के के आबकारी निरीक्षक को अविलम्ब सूचना देगा।

11.3 रिटेल लाईसेन्स की शर्तो के उल्लंघन पर राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 58सी के तहत अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय करने पर तथा निर्धारित समय से अतिरिक्त समय पर दर्ज होने वाले अभियोगों में अनुज्ञा पत्र निलम्बन/ निरस्तीकरण किया जाने का प्रावधान किया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त अनुज्ञा पत्र की अन्य शर्तों के उल्लंघन करने पर प्रथम तीन बार अनुज्ञाधारी को लिखित चेतावनी दी जायेगी, तत्पश्चात, अभियोग दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

11.4 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के समस्त प्रावधान यथारूप में लागू होंगे।

11.5 इस अनुज्ञापत्र के संबंध में उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद का न्याय क्षेत्र अनुज्ञापत्र जारीकर्ता प्राधिकारी का मुख्यालय रहेगा।

11.6 आबकारी बन्दोबस्त, मद्य–संयम एवं शुष्क दिवसों के संबंध में अन्य प्रावधान / प्रक्रिया/व्यवस्था पूर्व नीति के अनुरूप यथावत रखे जायेंगे।

11.7 आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2020–21 के प्रावधान एवं इसके तहत जारी की गई अधिसूचना /विभागीय परिपत्र/आदेश एवं समय–समय पर राज्य सरकार/विभाग द्वारा मदिरा दुकानों के संबंध में जारी आदेश/निर्देश अन्तिम होगे।

अनुज्ञापत्र देने वाले के हस्ताक्षर

प्रतिसंविद

अनुज्ञापत्र संख्या ..... जिला .....

समूह का नाम .....

मैं/हम उपर्युक्त अनुज्ञापत्र के संबंध में इसमें निर्दिष्ट शर्तों तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एवं शर्तों, हमारे पक्ष में जारी की गई स्वीकृति एवं समय–समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों की पालना करना पूर्णतः स्वीकार करता हूँ/करतें हैं।

हस्ताक्षर अनुज्ञाधारी

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये
आबकारी निरीक्षक
वृत .....

प्रति हस्ताक्षर
जिला आबकारी अधिकारी